

एनबीएफसी : मध्यावधि परिदृश्य*

आर. गांधी

भारतीय औद्योगिक महासंघ (सीआईआई) के पहले शिखर सम्मेलन पर संबोधित करते हुए और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में “विनियामकीय प्रतिमान और संवृद्धि की रूपरेखा विज्ञान 2020” विषय पर चर्चा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। जिस संदर्भ को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है वह भी अत्यधिक संगत है। विश्व में 2008 के महा वित्तीय संकट के बाद से गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की मौजूदगी, योगदान, विस्तार, महत्व एवं जोखिमों के बारे में एक प्रकार की जागरूकता पैदा होने लगी है। इस क्षेत्र की थोड़ी सी लापरवाही या उदासीनता, चाहे वह चूक के कारण हो या जानबूझकर की गई हो, पूरा विश्व उसके बारे में उत्सुकता प्रकट करता है, तथा उसके लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस प्रकार की जागरूकता आ जाने से इस क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाने लगा है और निगरानी तथा विनियमन बढ़ गया है। इसलिए यह बहुत ही संगत है कि इस क्षेत्र ने इसे संज्ञान में लिया है और उसकी संभावनाओं पर बदलते परिदृश्य में गंभीरता से चर्चा करना चाहता है और स्वयं को नवीकृत विज्ञान के अनुरूप ढालना चाहता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की वैश्विक आभासी बैंकिंग निगरानी रिपोर्ट - 2015

2. वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) का अस्तित्व संकट के बाद के समय में आया जब जी-20 देशों के नेताओं ने वित्तीय स्थिरता मंच को एफएसबी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था ताकि संकट के प्रभाव का निवारण किया जा सके और वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ रेगुलेटरी, पर्यवेक्षीय एवं अन्य नीतियों को विकसित किया जा सके और उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। एफएसबी द्वारा पिछले पांच वर्षों से आभासी बैंकिंग पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उसने अपनी निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित की है। मैं इसकी नवीनतम रिपोर्ट के कुछ खास निष्कर्षों पर प्रकाश डालना

* श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भा.रि.बैंक द्वारा 21 दिसंबर, 2015 को भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा होटल विवंता ताज प्रेसिडेंट में आयोजित प्रथम गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शिखर सम्मेलन के अवसर पर दिया गया भाषण। श्री सी.डी. श्रीनिवासन और श्री अनुज शर्मा द्वारा प्रदान की गई सहायता के प्रति आभार।

चाहूँगा जिससे आपकी आज की चर्चा को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि मिल जाएगी।

3. एफएसबी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट में पांचवीं वार्षिक निगरानी के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें 2014 के अंत तक के आंकड़ों का उपयोग किया गया है और 26 अधिकार क्षेत्रों को प्रस्तुत किया गया है जो विश्व की जीडीपी का लगभग 80 प्रतिशत और विश्व की वित्तीय प्रणाली का 90 प्रतिशत होता है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं मैक्रो-मैपिंग के परिणाम, साथ ही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एमयूएनएफआई) के आकार तथा विश्व में उनकी निगरानी अनुमान की विकसित प्रवृत्ति विभिन्न अधिकार क्षेत्रों का परस्पर विश्लेषण, उप-खंडों में उनकी प्रवृत्ति तथा बैंकिंग प्रणाली में परस्पर-संबद्धता को शामिल किया गया है। इसमें आभासी बैंकिंग की सीमित माप पर चर्चा की गई है जिनका निर्माण गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को फिल्टर करके किया गया है जिनका ऋण-मध्यस्थता (उदाहरण के लिए इक्विटी निवेश निधि) से कोई सीधा संबंध नहीं है अथवा जिन्हें बैंकिंग समूहों में विवेकपूर्ण तरीके से पहले ही समेकित किया जा चुका है। फलस्वरूप, यह माना जाता है कि इस संक्षिप्त उपायों से आभासी बैंकिंग के आकार और उनके संघटन की स्थिति और भी पक्के तौर पर स्पष्ट होती है, जो इस सावधानी के भी अधीन है कि एफएसबी उन सीमित माप को और भी परिष्कृत करेगा। हाल ही में एक और परिवर्तन हुआ है कि आभासी बैंकिंग के लिए एक और माप लायी गयी है जो ‘आर्थिक कार्य’ के बारे में नई गतिविधि-आधारित है, जिसमें प्रत्येक में गैर-बैंक ऋण मध्यस्थता शामिल है जिसमें आभासी बैंकिंग जोखिम हो सकते हैं (जैसे - परिपक्वता/चलनिधि परिवर्तन एवं लीवरेज)। कुछ संस्थाएं पांच आर्थिक कार्य (ईएफ 1) करने की गलती कर रही हैं, उधार देने का कार्य जो अल्पकालिक निधि पर आधारित है (ईएफ 2), बाजार में मध्यस्थता जो अल्पकालिक निधि अथवा ग्राहकों की परिसंपत्तियों की सुरक्षित फंडिंग पर निर्भर है (ईएफ 3), ऋण-विस्तार में मदद प्रदान करना (ईएफ 4), तथा प्रतिभूतिकरण जो मध्यस्थता आधारित है (ईएफ 5)।

4. हाल में की गई छानबीन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

सीमित माप

i) विश्व की आभासी बैंकिंग की सीमित माप जो वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम पैदा कर सकती है, वर्ष

2014 में 26 सहभागी अधिकार क्षेत्रों में 36 ट्रिलियन अमरीकी डालर है। यह वित्तीय प्रणाली की 12 प्रतिशत परिसंपत्तियों के बराबर है और यह पिछले कई वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ी है।

- ii) विश्व की आभासी बैंकिंग परिसंपत्तियों का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के उपखंड उत्तरी अमरीका, एशिया तथा उत्तरी यूरोप में हैं।
- iii) आर्थिक कार्यों के नये वर्गीकरण से पता चलता है कि ऋण मध्यस्थता में सामूहिक निवेश साधन जुड़े हुए हैं जिनकी विशेषताएं ऐसी हैं जिसे उनके गलत होने का संदेह होता है (जैसे-धन, बाजार, निधि (म्युचुअल फंड), हेज-फंड और अन्य निवेश-निधि जो आभासी बैंकिंग के सीमित आकलन का 60 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में औसतन 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इसके विपरीत प्रतिभूतिकरण-आधारित ऋण मध्यस्थता- जिसका वित्तीय संकट में प्रमुख योगदान था - उसका स्तर हाल के वर्षों में घटा है।
- iv) सकल स्तर पर, बैंकिंग और गैर-बैंक वित्तीय प्रणाली के बीच परस्पर-संबद्धता का स्तर संकट के पूर्व जिस ऊंचाई पर था उसमें कमी आई है।

व्यापक आकलन

- i) अन्य वित्तीय बिचौलियों (ओएफआई) की परिसंपत्तियां का सकल 'एमयूएनएफआई' आकलन, पेंशन फंड और बीमा कंपनियां पिछले वर्षों में 9 प्रतिशत बढ़ी हैं और 137 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गई हैं जो इस समय कुल वित्तीय प्रणाली की परिसंपत्तियों का लगभग 40 प्रतिशत है जो 20 अधिकार क्षेत्र एवं यूरो क्षेत्र में है।
- ii) कुल मिलाकर, बीमा कंपनी, पेंशन फंड तथा ओएफआई क्षेत्र 2014 में सभी में वृद्धि हुई है जबकि बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्ति अमरीकी डालर में थोड़ा सा कम हुई है।

iii) हालांकि वित्तीय संकट के तुरंत बाद गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता कुछ हद तक कम हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है। 20 अधिकार क्षेत्रों एवं यूरो-क्षेत्र में ओएफआई परिसंपत्तियां 2014 की जीडीपी के 128 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं, जो 2013 से 6 प्रतिशतता बिंदु अधिक और 2011 से 15 प्रतिशतता बिंदु अधिक थीं। यह स्थिति वित्तीय संकट के पूर्व सर्वोच्च 130 प्रतिशत बिंदु के निकट पहुंचने वाली है।

- iv) उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में ओएफआई परिसंपत्तियों में सबसे तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में 8 ईएमई की ओएफआई संवृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक थी, जिसमें दो ऐसी हैं जो 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं। लेकिन, यह तीव्र वृद्धि सामान्यतया अपेक्षाकृत छोटे आधार से है।
- v) वर्ष 2014 में ओएफआई उप-क्षेत्रों में सबसे तीव्र वृद्धि न्यास कंपनियों, एमएमएफ, तथा स्थिर आय एवं अन्य निधियों में हुई है। न्यास कंपनियों (अधिकांश चीन में हैं) में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले कई वर्षों के समान थी। शायद, आश्चर्यजनक तरीके से वर्ष 2014 में (अधिकांशतः यूरो क्षेत्र एवं चीन के अधिकार क्षेत्र द्वारा संचालित) एमएमएफ में 20 प्रतिशत की वृद्धि अनुभव की गई थी, जो पिछले तीन वर्षों में न्यून या ऋणात्मक थी। स्थिर आय फंड तथा अन्य फंड ने वर्ष 2014 में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
- vi) यह उल्लेखनीय है कि एफएसबी की रिपोर्ट में हेज फंड का आकलन पूरी तरह नहीं हो सका क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (आईएफसी) जहां अधिकांश संख्या में हेज फंड स्थित हैं, इस समय उक्त पता लगाने की संभावना के भीतर नहीं आते हैं।

भारत में आभासी (शैडो) बैंकिंग

5. जहां विश्व आमतौर पर इस क्षेत्र को 'आभासी बैंकिंग क्षेत्र' के नाम से जानता है वहीं हम इसे 'गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र' के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा, जैसाकि मैंने कहा कि विश्व इस क्षेत्र को जहां बड़ी चिंता के साथ देख रहा है, वहीं भारत ने 1960 के दशक के प्रारंभ में ही जब 1963 में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के विनियमन से संबंधित अध्याय III बी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में जोड़ा गया था, तभी इस क्षेत्र की प्रासंगिकता एवं उससे होने वाले जोखिमों का अंदाजा लगा लिया था। इसमें यह मान लिया गया था कि गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां वित्तीय प्रणाली का अभिन्न अंग हैं और कमर्शियल बैंकिंग की पूरक हैं, केवल इस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए उपयुक्त सतर्कता एवं सावधानी की आवश्यकता है।

एनबीएफसी रेगुलेशन

6. मुक्त अर्थव्यवस्था में, आर्थिक एजेंट किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करने के लिए प्राथमिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। सामान्य रूप से वे लगातार वृद्धि करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। लेकिन, कुछ आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं, जिन पर, जैसाकि हम सभी जानते हैं कि वे बाह्य गतिविधियों से भी जुड़ी होती हैं और उनमें से वित्तीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बाह्य गतिविधियों से इस तरह जुड़ा हुआ है कि उनका कड़ा रेगुलेशन एवं पर्यवेक्षण प्रणाली स्थिरता, सुरक्षा और बैंकों की सुदृढ़ता एवं अन्य संस्थाओं के हित एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से जरूरी है। बीसवीं शताब्दी में एनबीएफसी के रेगुलेशन का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना था। लेकिन, जैसे-जैसे एनबीएफसी का आकार बढ़ने लगा और बैंकिंग प्रणाली के साथ उनकी संबद्धता दिखाई देने लगी तब यह चिंता पैदा हुई कि उनकी क्षमता इतनी है कि वे प्रणालीगत स्थिरता में बाधा उत्पन्न कर सकती है, इसलिए एनबीएफसी को 2006 से विवेकपूर्ण रेगुलेटरी ढांचे के अधीन लाया गया है।

7. जहां इसके प्रति अपनाया गया समग्र दृष्टिकोण उपर्युक्त के अनुसार था, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के रेगुलेटर के रूप में इस क्षेत्र की क्षमता को अर्थव्यवस्था के अभिनिर्धारित खंडों के विकास के लिए लगाया और तदनुसार एनबीएफसी के रेगुलेटरी ढांचे में

विकासात्मक आग्रह को बनाए रखा है। एनबीएफसी कारोबार के छोटे-छोटे क्षेत्रों पर फोकस करती है और ग्राहकों की खास-खास जरूरतों को पूरा करती है। अतः, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को कई प्रकार में वर्गीकृत किया है और प्रत्येक प्रकार की एनबीएफसी को अलग तरह से रेगुलेट कर रहा है। अब तक जितने प्रकार हैं उनमें शामिल हैं - आस्ति वित्तपोषण, फैंक्टरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग, मार्गेज गारंटी आदि गतिविधियां। इसके अलावा, आवास वित्त, बीमा और सामूहिक निवेश गतिविधियां भी हैं, इन्हें सांविधिक रूप से एनबीएफआई कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है और उनका रेगुलेशन अन्य क्षेत्र के रेगुलेटर्स जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), बीमा विनियामकीय विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन निधि विनियामकीय विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के हाथों में सौंप दिया गया है।

8. यह दृष्टिकोण अपनाने से जो स्थिति उभरी है वह यह है कि गैर-बैंक वित्तीय प्रणाली इन खंडों में वित्तीय गहनता लाने में योगदान देगी। एनबीएफसी फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि उनके लेनदेन की लागत बहुत कम है, निर्णय तुरंत लेने की क्षमता होती है, ग्राहक उन्मुख होती हैं और तुरंत सेवा प्रदान करने का प्रावधान होता है। एनबीएफसी जो उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर रही हैं वे बैंकों की पूरक हैं।

9. जो भी हो, एनबीएफसी का कारोबारी-मॉडल आंतरिक रूप से जोखिमपूर्ण है। कमजोर हामीदारी मानक, ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता तथा उनकी बढ़ती हुई जटिल गतिविधियां चिंता का विषय बन गई हैं।

10. कारोबारी मॉडल जोखिमपूर्ण होने के अलावा, एनबीएफसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जोखिम का भी खतरा हो सकता है जो रेगुलेटरी-गैप, विवाचन तथा संक्रामकता प्रभाव से पैदा हो सकते हैं। एनबीएफसी को प्रणालीगत जोखिमों से ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि उनके एक्सपोजर कुछ खास क्षेत्रों में ही केंद्रित होते हैं। इसके अलावा, चूंकि ये संस्थाएं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से अधिकांशतः बैंक-फंडिंग पर निर्भर होती हैं, इसलिए एक-दूसरे के साथ अंतरसंबद्धता का जोखिम भी भारी होता है। उनकी परिसंपत्ति देयता के असंतुलन से चलनिधि जोखिम पैदा होता है। इन सब

कारणों से ये जोखिम तेजी से सालवेंसी जोखिम में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रणालीगत जोखिम भी बन जाते हैं।

11. अतः, अभी भी प्रणालीगत जोखिम के कारकों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का पता लगाने के लिए सावधान एवं निरंतर निगरानी रखे जाने की जरूरत है (उदाहरण के लिए परिपक्वता और चलनिधि परिवर्तन तथा लीवरेज), जो गैर-बैंक क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में तीव्र विस्तार से पैदा हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऐसे दिन के लिए उपयुक्त रेगुलेटरी ढांचा को सक्रिय रूप से तैयार करता रहा है। पिछले वर्षों आदि में इस ढांचे में किए गए कतिपय परिवर्तनों पर चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है।

हाल के एनबीएफसी रेगुलेशंस

12. पिछले डेढ़ दशक में एनबीएफसी क्षेत्र से संबंधित रेगुलेशंस में किए गए परिवर्तन काफी हद तक बढ़ते रहे हैं। लेकिन, नवंबर, 2014 में एनबीएफसी क्षेत्र के समस्त रेगुलेटरी ढांचे की **विस्तृत समीक्षा** की गई जिसमें संस्था-आधारित मौजूदा रेगुलेशन के दृष्टिकोण के बजाय एनबीएफसी की **गतिविधियों पर आधारित** दृष्टिकोण अपनाया गया था जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि बीते समय में वह एनबीएफसी में कैसे रूपांतरित हुई। बैंक ने इस तथ्य का ध्यान रखा कि रेगुलेशंस में बदलाव से एनबीएफसी द्वारा नवोन्मेष लाने तथा अर्थव्यवस्था के दूर-दराज के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी सक्रियता बाधित न हो। संशोधित दिशानिर्देशों को बनाने में रेगुलेशंस की समीक्षा में जिन बृहत सिद्धांतों को अपनाया गया था उसमें रिजर्व बैंक के मैनडेट का ध्यान रखा गया था अर्थात् वित्तीय स्थिरता, जमाकर्ताओं और ग्राहकों का संरक्षण। इस प्रकार (ए) फोकस इस बात पर था कि जोखिम को दूर किया जाए, वह चाहे जहां हो, (बी) रेगुलेशंस के अंतर को समाप्त किया जाए, (सी) रेगुलेशंस की जटिलताओं को समाप्त किया जाए उसका पालन सरल एवं आसान बनाया जाए, (डी) कुछ हद तक क्षेत्र के भीतर एवं बैंकों के साथ रेगुलेशंस को संगत बनाया जाए, (ई) इस बात को स्वीकार किया जाए कि क्षेत्र के भीतर कुछ पॉकेट ऐसे हैं जिनपर कड़े रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं है और (एफ) एनबीएफसी को थोड़ा समय दिया जाए ताकि वे संशोधित रेगुलेटरी ढांचे के साथ तालमेल बिठा सकें और उनके कारोबार में कोई रुकावट न पैदा हो।

13. फलस्वरूप, एनबीएफसी के लिए संशोधित रेगुलेटरी ढांचा जारी किया गया और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण मानने का पैमाना 500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति आकार को कर दिया गया। अब, **मोटे तौर पर एनबीएफसी की दो श्रेणियां हैं** जिनपर रेगुलेटर्स और पर्यवेक्षक ध्यान रखेंगे। ए) जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी जिनकी परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपए से कम है (एनबीएफसी-एनडी) और बी) जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) जिनकी परिसंपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है तथा जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी)। उनपर तदनुसार रिपोर्टिंग तथा रेगुलेटरी प्रावधान लागू होंगे तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं पर अत्यधिक फोकस होगा और पर्यवेक्षी संसाधनों का कुशल आबंधन किया जाएगा।

14. 500 करोड़ रुपए से कम परिसंपत्ति तथा **जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी** के लिए **कम से कम विवेकपूर्ण रेगुलेशंस** का निर्धारण किया गया है। जमाराशि न लेने वाली इन कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीमा से कम है, के लिए पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण जमाव मानदंड को छोड़कर केवल उन कार्यों के लिए लागू हैं जहां जनता से राशि स्वीकार की जाती है और कारोबारी रेगुलेशंस (एफपीसी, केवाईसी) वहां लागू है जिन कार्यों में ग्राहक जुड़े हुए हैं। एक साधारण 7 का लीवरेज अनुपात उनके लिए रखा गया है ताकि उनकी परिसंपत्ति में वृद्धि उनकी धारित पूंजी के समरूप रहे। इसके अलावा, इस प्रकार की एनबीएफसी **एक आसान सी वार्षिक विवरणी** के माध्यम से रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है तथा उन्हें सरलीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करना होगा एवं उनकी न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) 2 करोड़ रुपए होगी।

15. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सीमा से ऊपर की जमाराशि न लेने वाली कंपनियों (**एनबीएफसी-एनडी-एसआई**) और समस्त एनबीएफसी-डी के लिए **विवेकपूर्ण रेगुलेशंस** लागू हैं तथा कारोबारी रेगुलेशंस वहां लागू होंगे जिनमें ग्राहक जुड़े होंगे। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, प्रमुख पूंजी अपेक्षा को सुदृढ़ बनाया गया है (वर्तमान 7.5 प्रतिशत को बढ़ाकर 10

प्रतिशत कर दिया गया है जिसे चरणबद्ध रूप से 2 वर्षों में बढ़ाकर किया जाएगा। उनकी परिसंपत्ति के वर्गीकरण मानदंड को भी बैंकों के अनुरूप बनाया गया है (एचपी/पट्टा आस्तियों के लिए क्रमशः 180 दिन और 360 दिन के मौजूदा मानदंड को 90 दिन का मानदंड बनाया गया है जिसे 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्राप्त किया जाएगा)। मानक आस्तियों के प्रावधान के लिए उच्चतर स्तर लागू किया गया है (वर्तमान 0.25 प्रतिशत के स्थान पर 0.4 प्रतिशत जिसे चरणबद्ध रूप में 3 वर्षों में प्राप्त किया जाएगा)। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी श्रेणी के बीच ऋण-जमाव मानदंड को सहज बनाने के लिए एएफसी को परिभाषित मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक तक जाने की छूट को हटा दिया गया है। (आईएफसी तथा आईडीएफ को दी गई छूट को बनाए रखा गया है क्योंकि इन्फ्रा ऋण उच्च मूल्य के ऋण होते हैं) और कारपोरेट गवर्नेंस मानक जैसे - निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड, प्रकट करना एवं पारदर्शिता को और भी सुदृढ़ किया गया है ताकि उन्हें पेशेवर तरीके से नियंत्रित किया जा सके तथा एक सुदृढ़ अनुपालन परंपरा विकसित हो सके।


16. जमाराशि लेने वाली समस्त एनबीएफसी (**एनबीएफसी-डी**) के बीच जमा स्वीकार्यता रेगुलेशंस को सुकर बनाने के लिए तथा केवल ऋण-रेटिंग वाली एनबीएफसी-डी को जनता से जमाराशि लेने की व्यवस्था की ओर जाने के लिए, मौजूदा गैर-रेटिंग वाली आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), जिन्हें जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, वे 31 मार्च 2016 तक रेटिंग प्राप्त कर लें। इसके अतिरिक्त, रेटिंग वाली एएफसी के लिए जमाराशि स्वीकार करने की सीमा को एनओएफ के पहले के 4 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।

17. एनबीएफसी-फैक्टर्स के लिए प्रमुख कारोबार मानदंड (**पीबीसी**) को वर्तमान 75:75 को संशोधित करके 50:50 कर दिया गया है, अतः इसे फैक्ट्रिंग रेगुलेशन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप बना दिया गया है। फलस्वरूप, ऐसी एनबीएफसी जिसकी फैक्ट्रिंग आस्तियां और फैक्ट्रिंग आय उनकी क्रमशः कुल आस्तियों एवं आय का 50 प्रतिशत हैं, को अब एनबीएफसी-फैक्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि इससे देश में फैक्ट्रिंग गतिविधियां और तेज होंगी।

18. एनबीएफसी-एमएफआई के मामले में, लघु कारोबार और न्यून आय गृहस्थ हेतु व्यापक वित्तीय सेवा से संबंधित समिति (अध्यक्ष : डॉ. नचिकेत मोर) की सिफारिशों के आधार पर उधारकर्ता के कुल कर्ज की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपए कर दिया गया है। ऋण के लिए उधारकर्ता की आय के मापदंड को, जिसे इन एनबीएफसी की आस्ति के रूप में शामिल किए जाने हेतु योग्य माना जाएगा, परिवर्तित कर दिया गया है : ग्रामीण गृहस्थ उधारकर्ता के लिए पूर्व की वार्षिक आय 60,000 रुपए के बजाय 1,00,000 रुपए तक तथा शहरी एवं अर्ध-शहरी गृहस्थ के लिए पूर्व की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए के बजाय 1,60,000 रुपए दिए जाने वाले ऋण की उच्चतम सीमा जिसे पूर्व के प्रथम चक्र में 35,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया था उसे संशोधित करके बाद के चक्र के 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है। ऋण-घटकों से पैदा होने वाली आय के प्रतिशत को 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंक ने ऋण की सीमा को भी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है जिसकी कालावधि अनिवार्य रूप से 24 महीने होगी।

एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि


19. एनबीएफसी की कुल संख्या 1997 में 51,929 थी जो 30 सितंबर, 2015 को घटकर 11,769 हो गई किंतु, उनकी आस्तियां मार्च 1998 के अंत में 75,913 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2015 के अंत में 16,10,729 करोड़ रुपए हो गई। एनबीएफसी आस्तियों का हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 1998 में 7 प्रतिशत था जो मार्च 2015 में बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गया है। 202 एनबीएफसी-एनडी-एसआई (आस्तियां 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक) ऐसी हैं जिनकी कुल आस्तियां 14,126 बिलियन रुपए हैं। आरएनबीसी सहित जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी की संख्या 1997-98 में 1420 थी जो घटकर सितंबर 2015 में 209 हो गई है। एनबीएफसी की जमाराशि का हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंक की जमाराशि के प्रतिशत के रूप में मार्च 1997 के 3.34 प्रतिशत से घटकर मार्च 2015 तक 0.30 प्रतिशत हो गया है।



20. एनबीएफसी क्षेत्र की निधियों के स्रोत और उनका उपयोग - 30 सितंबर 2015 की स्थिति

21. एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान दिए गए ऋण और अग्रिमों में दो अंकों की तीव्र वृद्धि 15.5 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में कमर्शियल बैंकों के खाद्येतर ऋण में इसी अवधि के दौरान धीमापन रहा (चार्ट 4.6)। इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों, माइक्रो फाइनांस कंपनियों तथा ऋण-कंपनियों द्वारा दिए गए ऋणों में अत्यधिक वृद्धि के कारण एनबीएफसी-एनडी-एसआई के ऋण-पोर्टफोलियो में वृद्धि तीव्र बनी रही। क्षेत्र के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मझोले और बड़े उद्योगों तथा परिवहन क्षेत्र ने एनबीएफसी-एनडी-एसआई के ऋण के उठाव की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया। वर्ष 2014-15 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई ने निधियों को मुख्यतया डिबेंचर तथा कमर्शियल पेपर से जुटाया था। बैंकों से उधार जो पूर्व में निधि प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हुआ करते थे, क्रमिक रूप से घटता गया। एक मुख्य विशेषता यह थी कि एनबीएफसी-इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (आईएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) तथा एनबीएफसी-माइक्रो वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय लिखतों में म्युचुअल फंडों का बढ़ता हुआ एक्सपोजर रहा है। कंपनियां (एलसी) तथा एनबीएफसी - सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई)

22. हाल के वर्षों में, एनबीएफसी क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में समग्र रूप से गिरावट हुई है जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में व्याप्त है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख है। लगाए गए ऋण के प्रति सकल एनपीए का प्रतिशत मार्च 2015 तक 4.1 प्रतिशत बढ़ गया था।



संभावनाएं

23. मेरे विचार से इस क्षेत्र के लिए मध्यावधि में संभावनाएं समान नहीं रहने वाली हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न खंडों में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं और चुनौतियां हैं।

24. उदाहरण के लिए, एनबीएफसी-एमएफआई खंड में अत्यधिक गिरावट आने वाली है क्योंकि उनमें से दस स्वयं को अगले एक या उससे अधिक वर्षों में लघु वित्त बैंकों में बदल लेंगे। मैं यह बात तुरंत कह देना चाहता हूँ कि यह स्थिति अन्य एनबीएफसी-एमएफआई को भी प्रोत्साहित करेगी कि वे भी इसी प्रकार उन्नति करें, केवल इसलिए नहीं कि बड़ी दस कंपनियों की जगह खाली हो गई है तो वे उन्नति कर लेंगी, बल्कि इसलिए कि जब कई एनबीएफसी-एमएफआई स्वयं को परिवर्तित करते समय पूंजी-पुनर्रचना हेतु मौजूदा निवेशकों को भुगतान करने के लिए पूंजी जारी करेंगी और इसलिए भी इस संयुक्त पूंजी उद्यम की नई दिलचस्पी भविष्य में इस प्रकार के परिवर्तन में वृद्धि की संभावनाएं लक्ष्य करने की होंगी।

25. इन्फ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी के लिए आने वाले वर्षों में ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि एक तो आर्थिक वृद्धि से नई परियोजनाएं प्रारंभ होंगी और दूसरे यह कि जिन बैंकों ने हाल में विगत दिनों में जो सबक सीखा है उससे वे इन परियोजनाओं के प्रति नियंत्रित रुख अपनाएंगे। यदि इन्फ्रा-एनबीएफसी इन परियोजनाओं में अपनी स्ट्रक्चरिंग भलीभांति कर ले जाती है तो उनके बढ़ने की अच्छी संभावनाएं होंगी।

26. चूंकि बैंकों के लिए बड़े एक्सपोजर का समय 2018 से शुरू होगा, इसलिए एनबीएफसी के लिए मध्यावधि में बड़े बाजार को धन देने या कारपोरेट के लिए ऋण प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर रहेगा।

27. जैसे-जैसे इक्विटी और कारपोरेट बाण्ड बाजार में विस्तार आएगा वैसे-वैसे निवेश कंपनियों के लिए संभावनाएं बेहतर होती जाएंगी, साथ ही आर्थिक वृद्धि भी होगी और बासल III के मद्देनजर बैंक वित्त का भी सावधानीपूर्वक नपे-तुले अंदाज में उपयोग किया जाएगा।

28. आर्थिक वृद्धि तथा बेसल III के चलते बैंक वित्त की बारीकी जांच के साथ-साथ जैसे-जैसे इक्विटी और कोर्पोरेट बांड बाजार बढ़ रहे हैं, निवेश कंपनियों की संभावनाएं तेज होगी।

विनियमन - आगे का मार्ग

29. वर्तमान में, एनबीएफसी की अनेक श्रेणियां हैं और उन सभी के रेगुलेशंस भी अलग-अलग हैं। लघु कारोबार और न्यूनतम आय गृहस्थ के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं से संबंधित समिति (अध्यक्ष : डॉ. नचिकेत मोर) ने विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी को दो श्रेणियों में विलय करने की सिफारिश की है अर्थात् एनबीएफसी तथा प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) तथा रेगुलेशन को गतिविधि आधारित बनाया जाना। इस दिशा में पहला कदम जो उठाया गया था, वह नवंबर 2014 में रेगुलेटरी ढांचे को लागू किया जाना था। आगे रेगुलेशंस को और भी सहज बनाने के लिए ज्यादा प्रयास किए जाएंगे ताकि एनबीएफसी की श्रेणियों की संख्या कम की जा सके।

30. लेकिन, रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की विकासात्मक आवश्यकता के लिए सदैव तैयार रहता है और अर्थव्यवस्था को यदि जरूरत हुई तो नई प्रकार की एनबीएफसी को अनुमोदन प्रदान करना जारी रखेगा। इस प्रकार की एक एनबीएफसी लेखा समेकक (एनबीएफसी-एए) है जिसकी घोषणा रिजर्व बैंक 2 जुलाई, 2015 को कर चुका है। एनबीएफसी-एए प्रौद्योगिकीयुक्त समाधान उपलब्ध कराएगी जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान से अपनी वित्तीय आस्तियों की अनेक संस्थाओं में स्थिति विभिन्न खंड के रेगुलेटर के अधीन देख सकेगा। इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

31. इसके अलावा, रिजर्व बैंक समूह-से-समूह को उधार व्यवस्था का भी सक्रियता से अध्ययन कर रहा है जो धीरे-धीरे जड़ पकड़ रही है। जहां नूतन उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा, वहीं हम इस प्रकार के नवोन्मेष से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति भी जागरूक बने हुए हैं। हमारा प्रस्ताव है कि विस्तृत अध्ययन के आधार पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

32. यह मांग उठाई गई है कि प्रमुख निवेश कंपनियों से संबंधित रेगुलेशंस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। इस संबंध में पुनः विचार करने की प्रक्रिया चल रही है।

समापन

33. अंत में, मैं एफएसबी की 2015 की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। “गैर-बैंक चैनल के माध्यम से बीच-बीच में ऋण की उपलब्धता के महत्वपूर्ण फायदे हैं और यह वास्तविक अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में योगदान है, लेकिन इस प्रकार के चैनल प्रणालीगत जोखिम के कारण भी बन सकते हैं, विशेष रूप से जब उनकी संरचना कुछ इस प्रकार की हो जाए

कि वे बैंक जैसा कार्य करने लगे (उदाहरण के लिए परिपक्वता और चलनिधि परिवर्तन, तथा लीवरेज) और तब जब नियमित बैंकिंग प्रणाली के साथ उनकी अंतर-संबद्धता बहुत मजबूत हो गई हो। आभासी बैंकिंग की उचित निगरानी तथा जहां आवश्यक हो उपयुक्त नीतिगत कार्रवाई से इस प्रकार के प्रणालीगत जोखिमों के उभरने को रोकने में सहायता मिलती है”। रिजर्व बैंक इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए जाने के प्रति कटिबद्ध है।